



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

**सा.का.नि. 229(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पद ग्रहण काल) नियम, 1979 को और आगे संभावित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पद ग्रहण काल) (संशोधन) नियम, 2015 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पद ग्रहण काल) नियम, 1979 में —  
(i) नियम 4 में उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रति रखे जाएंगे, अर्थात् :

"(4) केन्द्रीय सरकार के अधीन पद, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों के परिणामों के आधार पर सरकारी सेवकों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हैं, पर नियुक्ति हेतु इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी अथवा अनन्तम रूप से स्थायी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण अवधि के पात्र हैं यदि ऐसे सरकारी सेवक केन्द्रीय सरकार में सभी प्रयोजनायों के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में पिछली सेवा की गणना के विकल्प का चयन करें";

(ii) नियम (5) में उपनियम (4) के विद्यमान टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"टिप्पण 1: दूरी से वास्तविक दूरी अभिप्रेत है जो यात्रा करके तय की गई है न कि कतिपय घाट अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेल द्वारा वसूला गया भारित मील भाड़ा।

टिप्पण 2: किसी मामले में सरकारी सेवक को उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें सिक्किम, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाखीप और लद्दाख संमिलित हैं, से अथवा में स्थानांतरण के मामले में, तैनाती के पुराने तथा नए स्थान के बीच वास्तविक दूरी के अनुसार लगने वाले समय के आधार पर साधारण कार्यभार ग्रहण अवधि के अलावा दो अतिरिक्त दिन स्वीकार्य होंगे";

(iii) नियम 6 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, नामतः :—

"(1) कार्यभार ग्रहण करने की अप्रयुक्त अवधि को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा";

(iv) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

**टिप्पण 1 :** स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण अविधि की मंजूरी स्थानांतरण पर जाने वाले सरकारी सेवक पर प्रभासनिक नियंत्रण रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

**टिप्पण 2 :** जहां कार्यभार ग्रहण अविधि का वेतन स्थानांतरण होने के पश्चात् उस नए प्रभासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जहां सरकारी सेवक ने कार्यभार ग्रहण किया है।"

[फा. सं. 19011/03/2013—स्थापना(भत्ते)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 695 तारीख 15 सितम्बर, 1979 के अधीन प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 90 तारीख 27 दिसंबर, 1982 तथा अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197 तारीख 10 मार्च, 1989 के अधीन संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

**G.S.R. 229(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Joining Time) (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979,—

(i) In rule 4, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination or interview or both open to Government servants and others, the Central Government employees and permanent or provisionally permanent State Government employees shall be entitled to joining time under these rules, if such Government servants opt for having their past service in the Central Government or State Government counted for all purposes in the Central Government”;

(ii) In rule 5, in sub-rule (4), for the existing Note, the following Notes shall be substituted, namely:—

**Note 1:** Distance means actual distance travelled and not weighted mileage for which fare is charged by the Railways in certain ghat or hill regions.

**Note 2:** In case of transfer of a Government servant to or from North Eastern Region, including Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh, two days additional time shall be admissible over and above the normal joining time reckoned on the basis of actual distance between their old and new place of posting”;

(iii) In rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The period of unutilized joining time shall be regulated in terms of the provisions of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 26 of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972”;

(iv) after rule 7, the following Notes shall be inserted, namely:—

**Note 1:** The sanction of the admissible joining time shall be accorded by the competent authority exercising the administrative control over the Government servant proceeding on transfer.

**Note 2:** The joining time pay shall be paid for by the new administrative authority where such Government servant joins on transfer”.

[F. No. 19011/03/2013-Estt.(AL)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

**Note:** The principle rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 695 dated the 15th September, 1979, and subsequently amended vide notification number G.S.R. 90 dated 27th December, 1982 and notification number G.S.R. 197 dated 10th March, 1989.